रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052020-219297
CG-DL-E-05052020-219297

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1275] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 05, 2020/वैशाख 15, 1942
No. 1275] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 05, 2020/VAISAKHA 15, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई , 2020

का.आ. 1423 (अ).-- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात्:—

क्र.सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1.	सरकार के विशेष मुख्य सचिव (या) सरकार के प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन, विज्ञान और तकनीकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	अध्यक्ष, पदेन ;
2.	सरकार के प्रधान सचिव या विशेष आयुक्त (आपदा प्रबंधन), राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन), आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
3.	सरकार के प्रधान सचिव या मत्स्य पालन आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
4.	सरकार के प्रधान सचिव या उद्योग आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;

5.	प्रमुख/निदेशक, आंध्र प्रदेश स्पेस ऐप्लिकेशन सेंटर (एपीएसएसी), आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य, पदेन ;
6.	श्री काल्लूरी हनुमंथा राव, वैज्ञानिक 'जी' और समूह निदेशक, समुद्र विज्ञान (सेवानिवृत्त) आंध्र प्रदेश स्पेस ऐप्लिकेशन सेंटर	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
7.	प्रो. उमे शाम्मम, प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
8.	डा. पी.वी.एन राव, वैज्ञानिक 'एच' और उप निदेशक, रिमोट सेंसिंग ऐप्लिकेशन ऐरिया (आरएसएए), नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
9.	डा. शैक बाशा, सीनीयर प्रिन्सीपल वैज्ञानिक और प्रमुख, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) – राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई)	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
10.	डा. टी. ब्यारागी रेड्डी, प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
11.	डा. दीपक अंबन मिश्रा, संकाय सदस्य, भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई)	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
12.	डा. एस. वेंकटा मोहन, सीनीयर प्रिंसीपल वैज्ञानिक, ऊर्जा और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) – राष्ट्रीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी)	सदस्य, (विशेषज्ञ) ;
13.	धारित्री रक्षिता समिति, काकीनाडा	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन ;
14.	सदस्य सचिव, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य सचिव, पदेन ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय गुटूंर, आंध्र प्रदेश में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्तों का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिशें करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा; (vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है; (viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथाअपेक्षित कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाईयां और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा.सं. जे-17011/27/99-आईए-III]
अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव,

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 1st May, 2020

S.O. 1423(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Andhra Pradesh Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:—

Sl.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Special Chief Secretary to Government (or) Principal Secretary to Government, Environment, Forest, Science and Technology Department, Government of Andhra Pradesh	Chairman, *exofficio;*
2.	Principal Secretary to Government (or) Special Commissioner (Disaster Management), Revenue (Disaster Management) Department, Government of Andhra Pradesh	Member, *exofficio;*
3.	Principal Secretary to Government (or) Commissioner of Fisheries, Fisheries Department, Government of Andhra Pradesh	Member, *exofficio;*
4.	Principal Secretary to Government (or) Commissioner of Industries, Industries and Commerce Department, Government of Andhra Pradesh	Member, *exofficio;*

5.	Head/Director, Andhra Pradesh Space Applications Centre (APSAC), Government of Andhra Pradesh	Member, *exofficio;*
6.	Shri. Kalluri Hanumantha Rao, Scientist 'G' and Group Director, Oceanography (Retired) Andhra Pradesh Space Application Centre	Member, (*Expert);*
7.	Prof. Ummey Shammem, Professor, Department of Zoology, Andhra Pradesh University	Member, (*Expert);*
8.	Dr. P.V.N. Rao, Scientist 'H' and Deputy Director Remote Sensing Application Area (RSAA), National Remote Sensing Centre (NRSC) (Indian Space Research Organisation), Department of Space, Government of India	Member, (*Expert);*
9.	Dr. Shaik Basha, Senior Principal Scientist and Head, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) - National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)	Member, (*Expert);*
10.	Dr. T. Byragi Reddy, Professor, Department of Environmental Sciences, Andhra Pradesh University	Member, (*Expert);*
11.	Dr. Deepak Amban Mishra, Faculty Member, Indian Institute of Petroleum and Energy (IIPE)	Member, (*Expert);*
12.	Dr. S. Venkata Mohan, Senior Principal Scientist, Department of Energy and Environmental Engineering, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) - Indian Institute of Chemical Technology (IICT)	Member, (*Expert);*
13.	Dharitri Rakshitha Samithi, Kakinada	Member, Non-Governmental Organisation;
14.	Member Secretary, Andhra Pradesh Pollution Control Board	Member Secretary, *exofficio*.

2. The Authority shall have its headquarters at Guntur, Andhra Pradesh.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an *exofficio* Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Andhra Pradesh, take the following measures, namely: -

 (i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contraventions of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/27/99-IA-III]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.05.05 20:40:39 +05'30'